

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 552/1991

कालू राम, पिता लक्ष्मी नारायण, आयु 21 वर्ष, निवासी गाँव सुन्दरपुरा, थाना जम्वा
रामगढ़, जिला जयपुर।

----आरोपी-अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री नितिन जैन, एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री अतुल शर्मा, पीपी

माननीय श्री. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

<u>सुरक्षित किया गया</u>	:	<u>20/05/2024</u>
<u>उच्चारित किया गया</u>	:	<u>24/05/2024</u>
रिपोर्टेबल		

स्पष्टीकरण की सुविधा के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

सूची

- | | |
|--|---|
| (1) तथ्यात्मक स्थिति..... | 2 |
| (2) अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ..... | 3 |

- (3) लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुतिया.....5
- (4) विश्लेषण, चर्चा एवं तर्क.....5
- (5) निष्कर्ष.....11

1. वर्तमान अपील उस निर्णय की सत्यता को चुनौती देती है जो 04.12.1991 को सत्र न्यायाधीश, जयपुर जिला, द्वारा सत्र-संख्या 121/1989 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा आरोपी-अपीलकर्ता (आगे "अपीलकर्ता" कहा गया है) को निम्नलिखित अपराधों में दोषी ठहराया गया है:

धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत	5 वर्षों का कठोर कारावास एवं ₹500/- जुर्माना; जुर्माना न देने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत	6 माह का कठोर कारावास।

दोनों सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया।

तथ्यात्मक स्थिति:-

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पीडब्ल्यू-1 छोदू राम ने पुलिस थाना जमवा रामगढ़, जिला जयपुर में रिपोर्ट एक्स.पी1 दर्ज करवाई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसके बड़े भाई की बेटी भंवारी का विवाह चार वर्ष पूर्व कालू राम से हुआ था। भंवारी के ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे और 06.08.1989 को भंवारी को पीटने के बाद उसे

कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद गांव वालों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला गया, उस समय वह बेहोश और गंभीर अवस्था में पाई गई।

इस रिपोर्ट पर अपराध संख्या 169/1989 दर्ज की गई, जिसमें धारा 307 और 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किए गए। जांच के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया और उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय किए गए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाने की मांग की, उसके बाद लगभग 10 गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड किया गया और 9 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। इसके बाद, आरोपी का स्पष्टीकरण धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। उसके बाद दो गवाहों की गवाही ली गई, जिन्हें डी.डब्ल्यू.-1 घीसीलाल और डी.डब्ल्यू.-2 घांसी के नाम से जाना गया, और बचाव पक्ष में कुछ दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, ट्रायल जज ने अपीलकर्ता को ऊपर बताई गई सजा एवं दोष सिद्ध किया।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ:

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घायल पीडब्ल्यू-2 भंवरी को अपीलकर्ता ने पीटा और फिर उसे कुएं में फेंक दिया, बाद में ग्रामीणों द्वारा उसे कुएं से बाहर निकाला गया। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडब्ल्यू-5 नाथू और पीडब्ल्यू-6 जगन्नाथ वे गवाह हैं जिन्होंने घायल भंवरी देवी को कुएं से बाहर निकाला, परंतु इन गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि

अन्य दो गवाह, यानि पीडब्ल्यू-3 रामधान और पीडब्ल्यू-10 आशा राम, घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। ये आकस्मिक गवाह हैं और मौके पर उनकी उपस्थिति संदेहास्पद है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला घायल पीडब्ल्यू-2 भंवरी की गवाही पर आधारित है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि छह गवाहों के बयान के अनुसार, भंवरी को अपीलकर्ता द्वारा बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद कुएं में फेंक दिया गया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि घायल पीडब्ल्यू-2 भंवरी की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे कुल 11 चोटें आईं। अधिवक्ता ने बताया कि प्रारंभ में चोट संख्या 1, 3, 5, 6, 7 और 11 सामान्य प्रकृति की पाई गईं, जबकि चोट संख्या 8 को गंभीर बताया गया, परंतु उसकी वास्तविकता जानने के लिए एक्स-रे कराने की सलाह दी गई। इस चोट की प्रकृति जानने के लिए राय सुरक्षित रखी गई थी, चोट नंबर 4, 8, 9 और 10 के संबंध में (एक्स.पी5 के अनुसार)। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बाद में इन सभी चारों चोटों का एक्स-रे किया गया और इन चोटों के बारे में दी गई राय के अनुसार इन चोटों को साधारण प्रकृति का पाया गया क्योंकि घायल के शरीर के इन हिस्सों में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि डॉक्टर की राय थी कि एक्स-रे रिपोर्ट में चोट नंबर 8 को साधारण प्रकृति का पाया गया क्योंकि उसमें फ्रैक्चर नहीं था, फिर भी, उस चोट को गंभीर मान लिया गया क्योंकि चोट रिपोर्ट एक्स.पी5 में उसे गंभीर में दर्ज किया गया था। अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने डॉक्टर को गवाह के रूप में पेश नहीं किया, अतः इन परिस्थितियों में यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि घायल को कोई गंभीर चोट आई थी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला यह है कि घायल का विवाह अपीलकर्ता से होने के बाद

उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन विवाह के चार वर्षों में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। अधिवक्ता ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि घायल को कुएं में फेंका गया, अतः इन परिस्थितियों में धारा 307 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल को जो चोटें आई हैं, उन्हें देख कर यह मामला धारा 323 आईपीसी से आगे नहीं बढ़ता क्योंकि सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता जांच और मुकदमे के दौरान 10.07.1989 से 28.08.1989 तक हिरासत में रहा और बाद में अपील के दौरान 04.12.1991 से 18.12.1991 तक जब उसकी सजा इस अदालत द्वारा स्थगित कर दी गई थी। अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता ने कुल मिलाकर 65 दिनों से अधिक की सजा और हिरासत पहले ही भुगत ली है, जांच, विचारण तथा अपील के दौरान की गई हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को उसकी पहले से भुगती गई सजा के आधार पर रिहा किया जाए।

लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुतियाँ:

4. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी संदेहों से परे मामला सिद्ध कर दिया है, और अपीलकर्ता के आचरण और कार्यों को देखते हुए, उसे सही ढंग से धारा 307 और 323 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया है। काउंसल का कहना है कि ट्रायल जज द्वारा सुविचारित एवं ठोस निर्णय पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विश्लेषण, चर्चा एवं तर्क:-

5. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई एक्स. पी1) पीडब्ल्यू-1 छोदू राम द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि बन्नवारी (अपने बड़े भाई रामजी लाल की बेटी) का विवाह आरोपी कालू राम के साथ चार वर्ष पूर्व हुआ था और उसके ससुराल वाले तथा आरोपी कालू राम भी उससे झगड़ते थे। जब उसके बयान ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड किए गए, तो उसने विशेष रूप से कहा कि डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी ने अपनी भतीजी बन्नवारी के साथ मारपीट की और उसे उनके निवास स्थान पर छोड़ दिया।

यह उल्लेखनीय है कि एफआईआर (ई एक्स. पी1) में उसने आरोपी पर यह आरोप लगाया कि भतीजी को मारने के बाद, उसे कुएँ में फेंक दिया गया और बाद में गाँववालों ने उसे कुएँ से बाहर निकाला। किंतु अदालत में दिए गए बयान में उसने पूरी तरह से अपना पक्ष बदल दिया और कुएँ में फेंकने के आरोप का कहीं भी उल्लेख नहीं किया।

7. अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यू-3 राम धन, पीडब्ल्यू-4 रामजी लाल पीडब्ल्यू-10 आशा राम को इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये गवाह स्वयं को उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जिसमें घायल पीडब्ल्यू-2 बन्नवारी पर अपीलकर्ता ने हमला किया था और उसे कुएँ में फेंक दिया गया था, जिसके बाद गांव वालों ने उसे बाहर निकाला।

यह उल्लेख करना उचित है कि घटना का स्थान गाँव-सुन्दरपुरा है जहाँ यह घटना घटी थी और इन में से कोई भी गवाह उस गाँव का निवासी नहीं है। उनका घटनास्थल पर मौजूद होना संदिग्ध है क्योंकि वे कहते हैं कि वे "आकस्मिक गवाह" हैं जो 'गलीचा' का काम देखने के लिए गाँव-सुन्दरपुरा गए थे। घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी अत्यधिक अप्राकृतिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन गवाहों को घटना के 'प्रत्यक्षदर्शी' के रूप में दिखाने के लिए उनकी 'संयोगवश उपस्थिति' गाँव-सुन्दरपुरा में बताई गई है। इन सभी गवाहों की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय है और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

8. अन्य महत्वपूर्ण गवाह जैसे कि पीडब्ल्यू-5 नथु, पीडब्ल्यू-6 जगन्नाथ और पीडब्ल्यू -9 शरवन ने अभियोजन पक्ष के वर्शन का समर्थन नहीं किया है और इन सभी को शत्रुतापूर्ण साक्षी घोषित किया गया है।

9. अब पूरा मामला घायल पीडब्ल्यू-2 बन्नवारी की एकमात्र गवाही के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके साथ यह घटना घटी। इस गवाह के बयान के अनुसार, आरोपी ने उसे मारने के बाद कुएँ में फेंक दिया और लगभग एक घंटे बाद गाँववालों ने उसे कुएँ से बाहर निकाला, लेकिन वह उन गाँववालों के नाम नहीं जानती थी। बाद में उसने कहा कि उनमें से एक मुन्ना राम था। यह उल्लेखनीय है कि न तो उक्त मुन्ना राम अथवा गाँव-सुन्दरपुरा के कोई भी निवासी गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, ताकि इस गवाह द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध किया जा सके। अतः घायल पीडब्ल्यू -2 बन्नवारी को छोड़कर अभियोजन द्वारा कोई भी स्वाभाविक/स्वतंत्र गवाह

प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित कर सके कि अपीलकर्ता ने उसे कुएँ में फेंका था। उसे कुएँ में फेंकने का आरोप सूचनादाता/शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू -1 छोद्द राम की गवाही से भी पुष्ट नहीं होता, जिसने एफआईआर (ई एक्स.पी1) दर्ज करवाई थी, क्योंकि उसने अपने न्यायालय में दिए गए बयानों में स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना कहा है कि अपीलकर्ता ने बन्नवारी के साथ मारपीट की और उसे उनके निवास पर छोड़ दिया। उसने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि घायल बन्नवारी को पीटने के बाद अपीलकर्ता ने उसे कुएँ में फेंक दिया। अतः घायल को कुएँ में फेंकने का आरोप संदेहास्पद है और अभियोजन द्वारा भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि कोई स्वतंत्र या स्वाभाविक गवाह जिसे उसी गाँव-सुन्दरपुरा का निवासी हो, जहाँ घटना घटी है, उसने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है।

10. अब यह न्यायालय घायल पीडब्ल्यू -2 बन्नवारी द्वारा प्राप्त चोटों की जांच करता है। ई एक्स.पी5 इस गवाह की चोटों की रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि उसे शरीर के विभिन्न भागों पर निम्नलिखित चोटें आई थीं:

- "1. ऊपर के होंठ में सूजन - साधारण - कुंद चोट।
2. सीने के सामने हिस्से में दर्द - केवल - कुंद चोट - ओ. आर. (जांच) - एक्स-रे के लिए।
3. दाहिने हाइपोकोण्ड्रियम (पेट के किनारे) पर कई 1x1 सेमी की खरोंच - साधारण कुंद चोट।
4. पीठ के सीने में दर्द - ओ. आर- एक्स-रे के लिए।
5. बाएँ टखने के जोड़ पर 2x2 सेमी की नीला पड़ने वाली चोट - साधारण - कुंद चोट।

6. बाएँ घुटने के जोड़ पर 2x2 सेमी की नीला पड़ने वाली चोट - साधारण - कुंद चोट।
 7. बाएँ पैर के ऊपरी हिस्से पर 10x1/4x1/4 सेन्टीमीटर की खरोंच - साधारण - कुंद चोट।
 8. बाएँ घुटने के जोड़ पर 5x5x2 सेन्टीमीटर आकार में अंग-हानि - मरम्मत की गई - कुंद - गंभीर - एक्स-रे के लिए सलाह।
 9. बाएँ जननांग क्षेत्र पर 5x5x1/4 सेन्टीमीटर की खरोंच - कुंद - ओ. आर - एक्स-रे के लिए सलाह।
 10. दांतों के दोनों तरफ सूजन - कुंद चोट - एक्स-रे के लिए सलाह।
 11. बाएँ घुटने के जोड़ पर 1x1 सेन्टीमीटर की खरोंच - साधारण - कुंद चोट।”
11. चोट संख्या 1, 3, 5, 6, 7 और 11 को साधारण प्रकृति की पाया गया, जो कुंद वस्तु के कारण हुई थीं। चोट संख्या 2, 4, 8, 9 और 10 के लिए राय सुरक्षित रखी गई तथा एक्स-रे कराने की सलाह दी गई। हालांकि चोट संख्या 8, अर्थात् बाएँ घुटने के जोड़ पर, को स्वभाव में गंभीर बताया गया था, फिर भी एक्स-रे की सलाह दी गई थी ताकि यह पता चल सके कि घायल को कोई फ्रैक्चर हुआ है या नहीं।
12. घायल व्यक्ति की एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी 6) 08.08.1989 को कराई गई थी तथा शरीर के किसी भी भाग में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि घायल को सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं।
13. मेडिकल जूरिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, जिन्होंने चोट की रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) और एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी6) तैयार की थी, उनकी राय थी कि एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी6) में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया, फिर भी चोट संख्या 8 को 'गंभीर चोट माना

गया। इस प्रकार की राय देने का कोई आधार नहीं था कि कैसे चोट संख्या 8 को गंभीर माना गया।

14. घायल की चोटों को सिद्ध करने के लिए, न तो उस मेडिकल जूरिस्ट को, जिसने चोट की रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) तैयार की थी, गवाह के रूप में पेश किया गया, और न ही उस रेडियोलॉजिस्ट को, जिसने घायल की एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी6) तैयार की थी, गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। केवल एक नर्सिंग स्टाफ, अर्थात् पीडब्ल्यू-7 हंसराम यादव, मेल नर्स ग्रेड-II, जो राजकीय अस्पताल जामवा रामगढ़ में नियुक्त थे, की गवाही हुई, जिन्होंने घायल की चोट रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) तैयार करने वाले डॉक्टर जे.पी. तांबी के हस्ताक्षरों की पहचान की। मेडिकल जूरिस्ट, डॉ. जे.पी. तांबी का परीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि उनका निधन हो चुका है।

15. घायल की चोट रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) अस्पताल के मेल नर्स स्टाफ पीडब्ल्यू -7 हंसराम यादव द्वारा प्रमाणित की गई, जो राजकीय अस्पताल में नियुक्त थे और उन्होंने मेडिकल जूरिस्ट स्व. डॉ. जे.पी. तांबी के हस्ताक्षरों की पुष्टि की।

16. चोट रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) और एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी6) से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

17. अब यह न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, क्या धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत अपराध साबित होता है या नहीं।

18. धारा 307 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध करने के लिए, न्यायालय को देखना होता है कि क्या कृत्य हत्या करने की मंशा से किया गया था, और यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, लगी हुई चोटों की प्रकृति आरोपी की मंशा के निर्धारण में सहायता कर सकती है, किंतु ऐसी मंशा अन्य परिस्थितियों से भी ज्ञात की जा सकती है, जैसे प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति, शरीर के जिन हिस्सों पर चोटें आई हैं, वार की गंभीरता, और उद्देश्य आदि।

19. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास के अपराध के लिए व्यवस्था और सजा से संबंधित है, और इसका पाठ इस प्रकार है:

“धारा 307 - हत्या का प्रयास:

कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी मंशा या जानकारी के साथ कोई कार्य करता है, और ऐसे परिस्थितियों में कि यदि उस कार्य के कारण मृत्यु हो जाती, तो वह व्यक्ति हत्या का दोषी होता, उसे ऐसे लक्षण वाली सजा दी जाएगी जो दस वर्ष तक हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो अभियुक्त को आजीवन कारावास या उपरोक्तानुसार किसी अन्य सजा भी दी जा सकती है।”

20. मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम @ चमरा और अन्य (2005 (5) एससीसी 554) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत दोष सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक चोट दी गई हो जिससे मृत्यु हो सकती थी। अतः, केवल यह आधार कि साधारण चोटें आई हैं, इस पर गैर-दोषसिद्धि का निर्णय नहीं किया जा सकता। उसी निर्णय में यह भी बताया गया कि

“न्यायालय को यह देखना होगा कि उक्त कार्य परिणाम की परवाह किए बिना, किस मंशा या जानकारी से और किन परिस्थितियों में किया गया था, जैसा कि धारा में उल्लेख है।” यह स्थिति कि केवल जानलेवा चोट न आने के कारण धारा 307 आईपीसी के तहत मुकदमे का निर्णय नहीं लिया जा सकता, को पुनः बल दिया गया है निम्नलिखित मामलों में: जागे राम बनाम राज्य हरियाणा (2015) 11 एससीसी 366 और राज्य मध्य प्रदेश बनाम कनहा (2019) 3 एससीसी 605 फिर भी, जागे राम (उपरोक्त) और कनहा (उपरोक्त) में यह देखा गया कि गंभीर या जानलेवा चोट का होना धारा 307 आईपीसी के तहत दोष सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। आरोपी की मंशा वास्तविक चोट, यदि कोई हो, एवं आसपास की परिस्थितियों से भी ज्ञात की जा सकती है। अन्य बातों के साथ-साथ, चोटों की प्रकृति भी इसमें महत्वपूर्ण है।

21. अभियोजन पक्ष स्वतंत्र या प्राकृतिक साक्षी प्रस्तुत करने में बुरी तरह असफल रहा है जो यह साबित कर सके कि आरोपी ने घायल पीडब्ल्यू -2 भंवरी को कुएं में फेंककर हत्या का प्रयास किया था। अतः ऐसी परिस्थितियों में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप सिद्ध नहीं होता है, जिसके आधार पर उसे इस अपराध के लिए दोषी माना जाए। इसलिए आरोपी को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।

22. मामले के तथ्यों और ऊपर चर्चा की गई साक्ष्यों के दृष्टिगत, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पीडब्ल्यू -2 भंवरी को जो भी चोटें आई थीं वे गंभीर प्रकृति की थीं और साधारण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए

पर्याप्त थीं। अभियोजन के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ है कि घायल भंवरी को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

निष्कर्ष:-

23. घायल पीडब्ल्यू-2 भंवरी की गवाही, उनकी चोट की रिपोर्ट (ई एक्स.पी5) और एक्स-रे रिपोर्ट (ई एक्स.पी6) की जांच के बाद यह न्यायालय मानता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि आरोपी ने घायल को कुंद वस्तु से साधारण चोट पहुँचाई है और वह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। आरोपी का घायल भंवरी की मृत्यु करने का कोई इरादा नहीं था और न ही ऐसी चोट पहुँचाने का, जो सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु का कारण बन सके। अतः आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता का आरोप सिद्ध नहीं होता है।

24. अतः, अपीलकर्ता को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप से बरी किया जाता है। उसकी धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है और उसे वही सजा दी जाती है, जो उसने पहले ही काट ली है। जयपुर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को इसी अनुसार संशोधित किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

25. अपीलकर्ता जमानत पर है और उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

26. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437- ए के प्रावधानों के अनुसार, अपीलकर्ता को 50,000 हजार के व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं 25,000 हजार के दो जमानती बंध-पत्र ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने तक प्रभावी रहेगा। यह शर्त रखी जाती है कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील / विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की जाती है या अनुमति प्राप्त होती है, तो याचिकाकर्ता को नोटिस प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

अनूप कुमार ढांड, जे

कुडी/3

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate